

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/2015

29 JUL 2015
जयपुर, दिनांक

:: आज्ञा ::

विधि सेवा संवर्ग के निम्न अधिकारियों को निर्देशानुसार अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम/पदनाम सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	उमेन्द्र कुमार गोयल सहायक विधि परामर्शी	निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर में सहायक विधि परामर्शी के पद का अतिरिक्त कार्य सप्ताह में दो दिवस।
2.	मनोहर लाल सहायक विधि परामर्शी	विधि (प्रकोष्ठ-4) क्रिमिनल सैल	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में सहायक विधि परामर्शी के पद का अतिरिक्त कार्य सप्ताह में दो दिवस।


4062/राज्यादेश/15
13-8-15

आज्ञा से

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. अति. निजी सचिव, उप शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग।
4. निजी पत्रावली।
5. सक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव

29/07/15

Recd. on 9.9.2015
